विल

(95)

न्यायालय श्रीमान मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर जिला ग्वालियर म.प्र.

प्र.क. /2015–16 निगरानी निगरानी 1890-II/16

गजराज सिंह पुत्र मंगल सिंह आयु 60 साल जाति लोधी धंधा खेती निवासी ग्राम मोहरी तहसील पिपरई जिला अशोक नगर मध्य प्रदेश ....निगरानी कर्ता

विरूद्ध

1:– अकलवती पत्नी बादाम आयु 27 साल जाति अहिरवार धंधा खेती

2:– राजस्व निरीक्षक वृत्त 1 तारई तहसील पिपरई जिला अशोक नगर म.प्र.

3:– मध्य प्रदेश राज्य द्वारा पटवारी ग्राम मोहरी तहसील पिपरई जिला अशोक नगर म.प्र.........प्रतिनिगरानीकर्तागण

श्री सुनीलसिंह भदौरिया द्वारा आज दि. 13-6-16 को प्रस्तुत
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी याचिका अंर्तगत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता विरूद्ध सीमांकन आदेश दिनांक17/5/2016प्र.क.23/1715/2016 (23/अ-12/...) पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक पिपरई जिला अशोक नगर मध्य प्रदेश जिसके पालन मे राजस्व निरीक्षक वृत्त 1 तारई तथा पटवारी मोहरी तहसील पिपरई जिला अशोक नगर ने दिनांक 21/5/16 को ग्राम मोहरी के भूमि सर्वे क. 24/1/1/27 का सीमांकन किया

सुनीलसिंह भदौरिया 13-6-16

माननीय महोदय,

प्रार्थी निगरानी कर्ता की निगरानी याचिका निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

निगरानी के तथ्य

1:– यहकि निगरानी कर्ता ग्राम मोहरी तहसील पिपरई के भूमि सर्वे क. 24/3 रकबा 1.272है. का स्वत्व स्वामित्व तथा आधिपत्यधारी है तथा मौके पर काबिज है प्रति निगरानी कर्ता क. 1 का ग्राम मोहरी के भूमि सर्वे क. 24/1 मेसे 0.800है. का पटटा स्वीकृत हुआ था पटटे के समय कोई सीमांकन नही था निगरानी कर्ता प्रति निगरानी कर्ता क. 1 को पटटा किये जाने के पूर्व से भूमि पर काबिज है प्रति निगरानी कर्ता क. 1 ने अपनी भूमि सर्वे क. 24/1/1/27 का सीमांकन कराये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे आवेदन प्रस्तुत किया जिसके आधार पर दिनांक 21/5/16 को राजस्व निरीक्षक तथा पटवारी ने सीमांकन कर जिस स्थान पर निगरानी कर्ता का कब्जा है उस स्थान पर प्रति निगरानी कर्ता क. 1 का भूमि सर्वे क. 24/1/1/27 रकबा 0.800है. बना दिया है निगरानी कर्ता की भूमि मे प्रति निगरानी कर्ता क. 1 की भूमि पटवारी तथा राजस्व निरीक्षक द्वारा बनाये जाने से प्रति निगरानी कर्ता क. 1 निगरानी कर्ता की भूमि पर कब्जा करने के प्रयास मे है जिसके कारण निगरानी कर्ता की भूमि

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 1890–दो/2016 निगरानी जिला– अशोकनगर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
02-05-17	आवेदक के अभिभाषक के पूर्व पेशी पर तर्क सुने जा चुके है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त तारई तहसील पिपरई द्वारा प्रकरण क्रमांक 23/अ–12/2016 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 21–5–16 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अनावेदक अमलवती की भूमि सर्वे क्रमांक 24/1 रकबा 0.800 हैक्टर का राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन करना बताया है किन्तु सीमांकन मौके पर नहीं किया गया जब आवेदक ग्राम मोहरी की भूमि सर्वे क्रमांक 24/3 का भूमिस्वामी है एंव मेढ़िया कास्तकार है , आवेदक को सीमांकन की सूचना देना थी, किन्तु आवेदक को एंव ग्रामवासियों को सूचना दिये बिना गलत आधारों पर सीमांकन किया है इसलिये राजस्व निरीक्षक की सीमांकन कार्यवाही एंव सीमांकन आदेश निरस्त किया जाय। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के परिप्रेक्ष्य में राजस्व निरीक्षक के प्रकरण क्रमांक 23 अ–12/2016 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अनावेदक क्रमांक–1 का सीमांकन आवेदन आने पर उसके स्वत्व की भूमि के सीमांकन किये जाने हेतु राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 16–5–16 को मेढ़िया कास्तकारों को सूचना पत्र जारी किया है एंव दिनांक 21–5–16 को स्थल पर जाकर अनावेदक क्रमांक–1 की भूमि का सीमांकन किया है	

मौके पर ही सीमांकन किये जाने का पंचनामा ग्रामवासियों के समक्ष बनाया गया है जिस पर ग्रामवासियों के हस्ताक्षर हैं। आवेदक की ओर से निगरानी मेमों में अंकित किया गया है कि अनावेदक कमांक 1 की भूमि का सीमांकन होने से निगरानीकर्ता की भूमि संकट में पड़ रही है । यदि निगरानीकर्ता की भूमि अनावेदक क-1 की भूमि के सीमांकन करने से प्रभावित हो रही है तब निगरानीकर्ता स्वयं की भूमि का अधीक्षक भू अभिलेख से अथवा अन्य राजस्व अधिकारी से सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है। विचाराधीन प्रकरण में राजस्व निरीक्षक वृत्त तारई तहसील पिपरई द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही में किसी प्रकार का दोष नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव राजस्व निरीक्षक वृत्त -1 तारई तहसील पिपरई द्वारा प्रकरण कमांक 23 अ-12/2016 में पारित आदेश दिनांक 21-5-16 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य